भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्‍चतर शिक्षा विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1694

उत्तर देने की तारीखः 27.1**2**.201**8**

दिल्ली विश्वविद्यालय में पदोन्नति

1694. श्री विशम्भर प्रसाद निषादः

चौधरी सुखराम सिंह यादवः

श्रीमती छाया वर्माः

**क्या** मानव संसाधन विकास मंत्री **यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों की पदोन्नति लंबे समय से नहीं की जा रही है जिससे शिक्षकों का मनोबल गिर रहा है;**

**(ख) ऐसे कितने शिक्षक हैं जो पदोन्नति योग्य हैं और जिनको पदोन्नति नहीं मिल रही है;**

**(ग) क्या यह भी सच है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में कार्यरत तदर्थ शिक्षकों की कई मांगों पर लंबे समय से विचार नहीं किया जा रहा है जिससे उन्हें मातृत्व अवकाश सहित अन्य सुविधाएं नहीं मिल रही हैं; और**

**(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है**?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सत्‍य पाल सिंह)

**(क) से (घ): दिल्‍ली विश्‍वविद्यालय ने सूचित किया है कि वर्ष 2017-18 में पहले ही 100 से अधिक पदोन्‍नतियां की जा चुकी हैं और आवेदकों के प्रकाशनों को अपलोड करने को सुविधाजनक बनाने हेतु एक ऑनलाईन प्‍लेटफॉर्म बनाया गया है। विश्‍वविद्यालय ने भी पदोन्‍नति के संबंध में यूजीसी द्वारा जारी नए दिशा-निर्देशों को अपनाने की प्रक्रिया शुरू की है। पदोन्‍नति के लिए पात्र शिक्षकों की संख्‍या केवल तभी निर्धारित की जा सकती है, जब जमा किए गए सभी फॉर्मों की जांच हो जाएगी। विश्‍वविद्यालय में तदर्थ नियुक्‍तियां केवल शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की आवश्‍यकताओं को पूरा करने के लिए अंतरिम उपाय के रूप में 4 माह के लिए की जाती हैं। उनकी सेवा शर्तें कार्यकारी परिषद् संकल्‍प 2007 द्वारा परिभाषित की जाती हैं, जिसमें चिकित्‍सा संबंधी सुविधाओं और स्‍वीकार्य प्रकार के समानुपातिक अवकाश हेतु प्रावधान भी किए गए हैं।**

**\*\*\*\*\***